

कार्यालय नगरपालिका पीलीबंगा

जिला - हनुमानगढ

क्रमांक / नपापी / 2016-17 / 2328-2351

दिनांक :- 13/8/16

-: नीलामी सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता हैं कि नगरपालिका पीलीबंगा द्वारा पीलीबंगा मे निम्नलिखित योजनाओं के वाणिज्यिक एवं आवासीय भूखण्डो को उनके नाम के सामने उल्लेखित तिथि व समय पर सार्वजनिक नीलामी द्वारा 99वें वर्षीय लीज के आधार पर विक्रय किया जावेगा ।


क्र.सं.	नाम स्थान	किस्म भूखण्ड	साईज	भूखण्ड संख्या	कुल भूखण्ड	नीलामी दिनांक	नीलामी स्थान
1	रेलवे लाईन व सड़क के मध्य	व्यवसायिक	10x15	65 से 79	15	11.08.2016	कार्यालय नगरपालिका पीलीबंगा
2	सैक्टर नम्बर 01,	आवासीय	35x70	255	01	12.08.2016	कार्यालय नगरपालिका पीलीबंगा
3	प्रस्तावित आवासीय योजना (IDSMT) योजना के पास वार्ड नम्बर 22 (गंगानगर रोड)	आवासीय	35x55	1 (कॉर्नर)	01	12.08.2016	कार्यालय नगरपालिका पीलीबंगा
4	प्रस्तावित आवासीय योजना (IDSMT) योजना के पास वार्ड नम्बर 22 (गंगानगर रोड)	आवासीय	25x55	2 से 8	07	12.08.2016	कार्यालय नगरपालिका पीलीबंगा
5	प्रस्तावित आवासीय योजना (IDSMT) योजना के पास वार्ड नम्बर 22 (गंगानगर रोड)	आवासीय	38x55	9 (कॉर्नर)	01	12.08.2016	कार्यालय नगरपालिका पीलीबंगा
6	प्रस्तावित आवासीय योजना (IDSMT) योजना के पास वार्ड नम्बर 22 (गंगानगर रोड)	आवासीय	38x45	10 (कॉर्नर)	01	12.08.2016	कार्यालय नगरपालिका पीलीबंगा

नोट :- नीलामी का समय प्रातः 11:00 बजे से 3:00 बजे तक रहेगा ।

नीलामी की शर्त :-

1. प्लॉट खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों के रूपये 20,000/- बतौर अमानत राशि पहले जमा करवानी होगी व अधिकतम बोलीदाता की नीलामी स्वीकृत होने पर 1/4 राशि मौके पर जमा करवानी होगी।


2. प्लॉट खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों को राशि रूपये 5.00 लाख से अधिक का भूखण्ड क्रय करने पर उसी समय आयकर नियमों के तहत पैन नम्बर की फोटो प्रति उपलब्ध करवानी होगी। यदि पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है तो आयकर नियम 114 बी से 114 डी के तहत फार्म नं. 60 में सूचना उपलब्ध करवानी होगी ।
3. नीलामी की 1/4 राशि जमा होने के बाद 30 दिवस के भीतर 3/4 राशि जमा करवानी होगी। इसका पृथक से नोटिस जारी नहीं किया जावेगा एवं 30 दिवस में 3/4 राशि जमा न कराने पर 1/4 राशि जब्त कर नीलामी निरस्त की जावेगी ।
4. समस्त प्लॉट राजस्थान नगरपालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत 99वें वार्षिक लीज के आधार पर विक्रय किये जावेगा ।
5. क्रेता राजस्थान नगरपालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत व शर्तों के अनुसार ही बाध्य होगा ।
6. अन्य शर्तें व ले-आउट प्लान का निरीक्षण नगरपालिका कार्यालय में मौके पर ही किया जा सकता है।
7. भूखण्ड जिस स्थिति में होगा उसी स्थिति में विक्रय किया जावेगा ।
8. नगरपालिका को किसी भी बोली को स्वीकार करने अथवा बोलियों को बीना किसी कारण बताये अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा ।


अधिसाषी अधिकारी
नगरपालिका मंडल पीलीबंगा
क्रमांक/नपापी/2016-17/2328-2351

अध्यक्ष
नगरपालिका मंडल पीलीबंगा
दिनांक :- 13/7/16

प्रतिलिपि :- वास्ते सूचनार्थ

1. श्रीमान जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ ।
2. श्रीमान उपनिदेशक (क्षे.) स्थानीय निकाय विभाग बीकानेर।
1. श्रीमान् उप नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, बीकानेर।
2. श्रीमान सूचना एंवम जनसम्पर्क अधिकारी हनुमानगढ़।
3. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा ।
4. श्रीमान तहसीलदार पीलीबंगा ।
5. श्रीमान आयुक्त नगर परिषद हनुमानगढ़ ।
6. श्रीमान अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एंवम समस्त सदस्यगण नगरपालिका पीलीबंगा ।
7. श्रीमान अध्यक्ष महोदय व्यापार मंडल पीलीबंगा ।
8. श्रीमान सचिव महोदय कृषि उपज मंडी समिति पीलीबंगा
9. श्रीमान अधिसाषी अधिकारी नगरपालिका संगरीया/रावतसर/भादरा/नोहर/सूरतगढ़/अनुपगढ़/विजयनगर, रायसिंहनगर,/पदमपुर/करणपुर,/केसरीसिंहपुर ।
10. लेखा शाखा ।
11. नोटिस बोर्ड नगरपालिका पीलीबंगा ।
12. नोटिस बोर्ड रेलवे स्टेशन पर चस्पा ।
13. संबंधित पत्रावली ।


अधिसाषी अधिकारी
नगरपालिका मंडल पीलीबंगा